



THE CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., BIKANER

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बीकानेर

19, समता नगर, श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर

फोन नं. 0151-2252069 फैक्स नं. 0151-2542154

क्रमांक: सीसीबीबी/2020-21/बैंक/51वीं आम सभा/5646-344 दिनांक 07-09-2020

सूचना

केवल पूर्णकालिक सदस्यों के लिए

बैंक के समस्त पूर्णकालिक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि बैंक के पत्र क्रमांक 5286-584 दिनांक 04.09.2020 द्वारा बैंक की 51वीं साधारण सभा दिनांक 20.09.2020 को प्रातः 11.00 बजे होटल हॉलीडे रिसोर्ट, वृदावन एन्क्लेव के सामने, जयपुर रोड, बीकानेर के प्रांगण में रखी गयी थी, में निर्देशानुसार परिवर्तन करते हुए बैंक की 51वीं साधारण सभा दिनांक 23.09.2020 को प्रातः 11.00 बजे रविन्द्र रंगमंच के प्रांगण में होगी। जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

इस सभा में विचारणीय विषय निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
2. बैंक की गत वार्षिक साधारण सभा दिनांक 20.09.2019 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
3. वर्ष 2019-20 के संतुलन चित्र एवं लाभ हानि खातों का अनुमोदन करना।
4. वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना (DAP) को अपनाना।
5. वर्ष 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का अनुमोदन करना।
6. वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत करना।
7. बैंक के संचालक मण्डल द्वारा वर्ष 2019-20 में लिए गये प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
8. स्वीकृत बजट वर्ष 2019-20 में हुए व्ययों की पुष्टि तथा वर्ष 2020-21 के लिए संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन करना।
9. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

यह भी सूचित किया जाता है कि कोरम के अभाव में यदि उक्त बैठक स्थगित हुई तो स्थगित सभा उसी दिन उपरोक्त वर्णित स्थान पर ही दोपहर 12.15 बजे से अधिनियमानुसार प्रारम्भ होगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से


(रणवीर सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

नोट:- सहकारी समितियों की ओर से भाग लेने वाले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष समिति से इस संबंध में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि एवं हस्ताक्षर नमूने सहायक अधिशाषी अधिकारी/निरीक्षक (कार्यकारी)/ऋण पर्यवेक्षक से प्रमाणित करवाकर प्रमाणित प्रतिलिपि आते समय साथ लायेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही उपाध्यक्ष आम सभा में भाग ले सकेंगे। (प्रस्ताव प्रारूप संलग्न है।)

(सभा में आते समय साथ लावें)

प्रपत्र-“अ”

समिति का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष द्वारा किए जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सहकारी समिति लि
जिला बीकानेर में वर्तमान में श्री पुत्र श्री
अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है, जिनके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। ये समिति के तीन माह या इससे
अधिक की अवधि के लिए ऋण चुकाने के दोषी नहीं है।

नमूना हस्ताक्षर (अध्यक्ष)

व्यवस्थापक

दिनांक

हस्ताक्षर प्रमाणित

सहा.अ.अ./ऋण पर्यवेक्षक/कार्य.निरीक्षक

प्रपत्र-“ब”

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष से प्रतिनिधित्व कराने हेतु प्रस्ताव

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बीकानेर की 51वीं साधारण सभा में भाग लेने हेतु
सहकारी समिति लि. के अध्यक्ष श्री (अमुक कारण)
से उपस्थित नहीं हो सकते। अतः संस्था की प्रबन्ध समिति आज दिनांक को यह
संकल्प पारित करती है कि उक्त साधारण सभा में संस्था का प्रतिनिधित्व श्री द्वारा
किया जावेगा। ये समिति ततीन माह या उससे अधिक की अवधि के लिए ऋण चुकाने के दोषी नहीं
है। यह संकल्प संख्या संस्था के कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या पर
अंकित है तथा बहुमत से पारित है। श्री उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नीचे अंकित है।

नमूना हस्ताक्षर (उपाध्यक्ष)

व्यवस्थापक

दिनांक

हस्ताक्षर प्रमाणित

सहा.अ.अ./ऋण पर्यवेक्षक/कार्य.निरीक्षक